

हर हाथ को काम, हर श्रमिक को सम्मान” के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश: योगी आदित्यनाथ

श्रमिक केवल सहभागी नहीं, उत्तर प्रदेश की प्रगति के वास्तविक शिल्पकार हैं: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

लखनऊ, 1 मई: श्रमिक दिवस के अवसर पर 1 मई, 2026 को इंदिरा गाँधी प्रतिष्ठान में आयोजित 'श्रमवीर गौरव समारोह-2026' में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के श्रमिकों, कारीगरों, तकनीशियनों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं और घोषणाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि श्रमिक केवल विकास के सहभागी मात्र नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति के वास्तविक शिल्पकार हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में आयोजित इस समारोह में श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा, आवासीय भूखंडों, आधुनिक हॉस्टल्स और ई.एस.आई.सी. (ESIC) अस्पतालों जैसी सुविधाओं की सौगात दी गई है, जो उनके जीवनस्तर को एक नई मजबूती प्रदान करेगी।

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने श्रमिक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लगभग 25 करोड़ की जनसंख्या तथा 56 प्रतिशत कार्यशील आयु वर्ग के साथ उत्तर प्रदेश आज विश्व के सबसे बड़े प्रतिभा, श्रम एवं उपभोक्ता बाजारों में से एक बन चुका है। ₹35 लाख करोड़ से अधिक के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के साथ उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से उभर रहा है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश का सर्वाधिक कनेक्टिविटी वाला राज्य बनकर उभरा है। राज्य में 22 एक्सप्रेसवे, 16 घरेलू हवाई अड्डे, 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, 27 इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग एवं लॉजिस्टिक्स क्लस्टर, 200 से अधिक औद्योगिक क्लस्टर तथा पूर्वी एवं पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसी विश्वस्तरीय अवसंरचना उपलब्ध है। यही मजबूत कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश को निवेश, विनिर्माण, निर्यात और रोजगार का प्रमुख केंद्र बना रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग, वस्त्र, ईवी, सेमीकंडक्टर, वेयरहाउसिंग एवं डाटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में तेज औद्योगिक विस्तार हो रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त निवेश प्रस्ताव अब विभिन्न जनपदों में उद्योगों एवं रोजगार के रूप में धरातल पर दिखाई दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश अवसर, निवेश, रोजगार एवं समावेशी विकास का राज्य बनकर उभरा है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक श्रमिक परिवार को सम्मान, समय पर वेतन, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा, सुरक्षा एवं कौशल विकास की सुविधाएं उपलब्ध हों।

औद्योगिक विकास एवं श्रमिक आवास के लिए नई पहल

राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए आधुनिक डारमेट्री एवं हॉस्टल सुविधाओं के विकास की घोषणा की है। चार एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले औद्योगिक भूखंडों में श्रमिक डारमेट्री का प्रावधान करने हेतु नियमावली लागू की जाएगी। भूखंड के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 10 प्रतिशत क्षेत्र श्रमिक सुविधाओं हेतु अनुमन्य होगा।

इन डारमेट्री परिसरों में कैण्टीन, डिस्पेंसरी, सामान्य डाइनिंग, क्रेच, स्नानघर, शौचालय ब्लॉक तथा मनोरंजन हेतु खुले स्थान जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। महिला श्रमिकों की सुविधा हेतु विशेष महिला हॉस्टल/डारमेट्री का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सीसीटीवी, सुरक्षा गार्ड एवं कॉमन एरिया जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

निर्माण श्रमिकों को मिलेगा व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा कवच

बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के अंतर्गत वर्तमान में 12.26 लाख निर्माण श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड से आच्छादित किया जा चुका है, जिससे उनके 34.62 लाख पारिवारिक सदस्य लाभान्वित हो रहे हैं। शेष 15.83 लाख सक्रिय निर्माण श्रमिकों को भी आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, जिससे लगभग 45 लाख अतिरिक्त पारिवारिक सदस्य लाभान्वित होंगे। इस योजना पर लगभग ₹475 करोड़ व्यय होने का अनुमान है।

सभी जनपदों में ईएसआईएस सुविधाओं का विस्तार

राज्य सरकार ने ईएसआईसी (ESIC) औषधालयों के विस्तार की भी घोषणा की है। वर्तमान में 41 जनपदों में 116 ईएसआईएस औषधालय संचालित हैं, जबकि शेष 34 जनपदों में नए औषधालय स्थापित किए जाएंगे। इन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) परिसरों में स्थापित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-5 में 300 बेड के ईएसआईसी अस्पताल हेतु 7 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। वहीं गोरखपुर में भी गीडा (GIDA) द्वारा 5 एकड़ भूमि चिन्हित कर ESIC को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा होगा और व्यापक

राज्य सरकार ने श्रमिकों के लिए जीवन, दुर्घटना और अपंगता बीमा युक्त 'एकीकृत सामाजिक सुरक्षा मॉडल' लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत सभी निर्माण श्रमिकों को मुख्यमंत्री जनारोग्य, पीएफ और ईएसआईसी (ESIC) से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। असंगठित श्रमिकों के लिए एक विशेष कोष का गठन कर उन्हें स्वास्थ्य और बीमा लाभ दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश "हर हाथ को काम, हर श्रमिक को सम्मान, हर परिवार को सुरक्षा" के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और श्रमिकों का कल्याण हमारे विकास मॉडल के केंद्र में है।

श्रमवीर गौरव समारोह-2026 में अटल आवासीय स्कूल योजना के अंतर्गत शैक्षिक उत्कृष्टता के लिए मेधावी छात्रों को टेबलेट देकर सम्मानित किया गया साथ ही श्रमिकों को प्रमाणपत्र व टूलकिट का वितरण भी किया जाएगा। औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत कई प्रमुख योजनाओं का शुभारंभ होगा, जिनमें श्रमिक सुविधा केंद्र और श्रमिक आवास का शिलान्यास किया गया। साथ ही, ग्रेटर नोएडा में 7.2 एकड़ भूमि पर 300 बेड वाले ई.एस.आई.सी. (ESIC) अस्पताल के लिए भूमि आवंटन पत्र का वितरण और मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, जेवर की घोषणा, श्रमिकों के कल्याण के प्रति सरकार के संकल्प को प्रदर्शित करती है।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल मन्नू कोरी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार, प्रमुख सचिव एवं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश यूपीबीओसीडब्ल्यू बोर्ड डॉ. एम.के.एस. सुंदरम और श्रम आयुक्त मार्कंडेय शाही उपस्थित रहे।
